रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1447] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2015/आषाढ़ 16, 1937
No. 1447] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2015 /ASHADHA 16, 1937

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2015

का.आ. 1833(अ).– जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ, लखनऊ स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तृतीय वरिष्ठतम न्यायालय को दिनांक 26 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- **II**, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 26 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 788(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य था;

और जबकि, श्री रामाश्रय सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- **II**, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 24 नवम्बर, 2012 को प्रकाशित दिनांक 23 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना सं. 2779(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 23 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना सं. 2779(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर एतद्द्वारा, श्री नीलकंठ सहाय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-IV (भाग-1)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2015

S.O. 1833(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 788(E) dated the 26th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th April, 2011, notified the 3rd Seniormost Court of Additional District and Sessions Judge, Lucknow as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Uttar Pradesh for the trial of scheduled offences;

And whereas, Sri Ramashray Singh, Additional District & Sessions Judge who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 2779(E), dated 23rd November, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), dated the 24th November, 2012, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 2779(E), dated the 23rd November, 2012, except as regards to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad, hereby appoints Sri Neel Kuntha Sahay, Additional District and Sessions Judge, Lucknow as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV (Part-1)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.